संख्या-02/2018/217/क0नि0प्र/26-3-2018-7(90)/2007

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊः दिनांकः 15 फरवरी,2018
समाज कल्याण विभाग

विषयः- उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 में पूंजी निवेश (कम्प्यूटराइजेशन) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या-1954/ले0अनु0/2017-18 दिनांक 14-11-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के मुख्यालय एवं जनपदीय कार्यालयों के कम्प्यूटराइजेशन (पूंजी निवेश) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु रू0 20,00,000/- (रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक,अनुगम द्वारा आहरित कर आवश्यकतानुसार/कार्ययोजनानुसार व्यय की जायेगी।

3- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत धनराशि का प्रदेशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता जिसे करने हेतु बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हैं। अतः ऐसी स्वीकृतियां जहां आवश्यक हो व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें। इस अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइडलाइन्स तथा वित्तीय नियमों/आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

6- इस स्वीकृति पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय- व्ययक की अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 में पूंजी निवेश-30-निवेश/ऋण" के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–8/ 2017/बी-1-1190/ दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 नवम्बर, 2017 में में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-02/2018/217(1)/क0नि0प्र0/26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।
4- निदेशक,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता)अनु0, उ0प्र0 शासन।
6- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in